न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज दानसिंह उर्फ पप्पू बनाम रामावतार सिंह मु.नं.– 34/21 किस्म – T.D.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22.4.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा) 15.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा.पत्र T.I. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 10.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 10.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/2021	21.09.2021	10.06.2025

बउनवान

1. दानसिंह उर्फ पप्पू पुत्र सुमान सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. सुगरबाई पुत्री सुमानसिंह पत्नी विक्रम सिंह, निवासी धौलखेडा तहसील मण्डावर, हाल निवासी कोतवाली क्वाटर, जिला सवाई माधोपुर।
3. वन्दना पुत्री सुमान सिंह पत्नी विजन्द्र सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, हाल निवासी अकबरपुर, जिला अलवर ।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामावतार सिंह पुत्र हाकिम सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. दिलीप सिंह पुत्र रोहतान सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. रज्जन सिंह पुत्र बहादुर सिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. सुल्तान सिंह पुत्र श्री भूपसिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. जयसिंह पुत्र श्री भूपसिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री गोपाल सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 – श्री हरिशंकर सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात भूमि खसरा सं. 362 रकबा 0.58 हैक्टे., 363 रकबा 0.24 हैक्टे., 487 रकबा 0.72 हैक्टे.,488 रकबा 0.88 हैक्टे., 511 रकबा 0.11 हैक्टे., 512 रकबा 0.11 हैक्टे., 513 रकबा 0.17 हैक्टे., 514 रकबा 0.37 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 3.18 हैक्टे. वाके ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है एवं विवादित आराजीयात खसरा सं. 520 रकबा 0.26 हैक्टे., 521 रकबा 0.26 हैक्टे., 522 रकबा 0.27 हैक्टे., 550 रकबा 0.28 हैक्टे., 551 रकबा 0.43 हैक्टे., 552 रकबा 0.35 हैक्टे., 553 रकबा 0.49 हैक्टे., 554 रकबा 0.66 हैक्टे., 555 रकबा 0.62 हैक्टे., 560 रकबा 0.24 हैक्टे., 561 रकबा 0.03 हैक्टे., 562 रकबा 0.59 हैक्टे., 563 रकबा 0.75 हैक्टे. कुल किता 13 कुल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रकबा 5.23 हैक्टे. वाकेग्राम धौलखेडा तहसील मण्डार जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने बाहमी तौर बंटवारा कर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं लगान राजस्थान सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें सभी काश्तकार मौके पर मनबंट के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन उसका कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के भाई की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण खुल जाने से प्रार्थीगण उक्त भूमि में वादपत्र वर्णित मद में 1/10 व 10/94 भाग मौजूद जमाबन्दी है एवं इसी हिस्सानुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण सं. 2 व 3 की शादी हो जाने की वजह से वो अपनी ससुराल में रहती है एवं प्रार्थिया का भाई दानसिंह भी कमाने के लिये बाहर रहता है एवं अपने हिस्से की जमीन को बंटाई पर बता रखा है जिससे अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति पैदा हो गई है जो प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमि पर उन्हें काश्त नहीं करने दे रहे है। दिनांक 14.06.2019 को प्रार्थीगण आज से करीब 7–8 दिन पूर्व अपनी कब्जे काश्त की भूमि में ट्रेक्टर से जोत निकलवाकर गई थी एवं दिनांक 14.06.2019 को सायलान अपने खेत में बाजरा बोने आई तो प्रतिवादी रामावतार सिंह, महेन्द्र सिंह, सुल्तानसिंह, जयसिंह, दिलीप सिंह रज्जन सिंह राजपूत अपने हाथों में लाठी डण्डे लेकर आये व आते ही सायलान से ऐलानिया कहा कि या तो चुप चाप यहां से चले जाओ वरना हम तुम्हे जान से खत्म कर देगें। प्रार्थीगण की बहनों ने उनसे निवेदन किया कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि में ही बुआई कर रहे हैं एवं यदि आपके मन में कोई बहम हो तो सभी तहसील कार्यालय मण्डावर में चलकर अपनी भूमि का तकास्मा करवा लेते है। तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से ऐलानिया कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी इस भूमि में काश्त नहीं करने देंगे एवं उस पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को हडपने की दिनांक 14.06.2019 को धमकी देने एवं उसमें जबरन जुताई कर दिये जाने से प्रार्थीगण को अपूर्तिनीय क्षति होगी। दिनांक 14.06.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में बुआई करने से रोकने की धमकी देने से बमुकाम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में पैदा हुई है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वर्णित विवादित आराजीयात में कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत, मदाखलत, बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से करावें तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से में आई भूमि को बुवाई करने नहीं रोके। मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त भूमि में से कोई भी हिस्सा किसी को रहन बेचान नहीं करें।

2. प्रार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 362, 363, 487, 488, 511, 512, 513, 514, कुल किता 8 एवं खसरा सं. 520, 521, 522, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562, 563 कुल किता 13 में प्रार्थीगण के हिस्सा तक उनके कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 7 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाव प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात के किसी भी भू–भाग पर कभी भी कब्ज काश्त नहीं रही है और ना ही कभी विवादित आराजीयात पर फसल दरोह की, न ही बॉटे आदि पर किसी को बताया अर्थात उपरोक्त विवादित आराजी पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण 50–60 वर्षों से बाहर रहते हैं, रामा में जो जमीन आज भी दानसिंह के नाम है जो 50–60 वर्षो से पडत पडी हुई है जिसमें कभी विशम्भर मीना आदि फसल कर लेते हैं। विवादित आराजीयात हमारे कब्जा व स्वामित्व अधिकार की है तथा हमारे बाप दादाओं के समय से ही उक्त आराजी पर हमारा कब्जा रहता चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने कभी भी उक्त आराजी पर फसल दरोह नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी पर दिनांक 14.06.2019 को किसी भी भाग पर ट्रेक्टर से जोत नहीं लगवायी गयी और न ही दिनांक 14.06.2019 को प्रार्थीगण उक्त आराजी पर बाजरा बोने को आयी और ना ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रार्थीगण ग्राम धौलखेडा में उक्त दिवस को उपस्थित नहीं हुई। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध *– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार, ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर में स्थित विवादित आराजीयात के प्रार्थी सं. 1, 2 व 3 रिकार्डेड खातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

7. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांन्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

8. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 362, 363, 487, 488, 511, 512, 513, 514 एवं खसरा सं. 520, 521, 522, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562, 563 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19.06.2019 को, प्रार्थना पत्र से सम्वद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट *(Confirm)* किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात खसरा सं. 362, 363, 487, 488, 511, 512, 513, 514 एवं खसरा सं. 520, 521, 522, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 560, 561, 562, 563

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

वाके ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)